उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-718/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.257-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(318)-2024

लखनऊः दिनांकः 05 अगस्त, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक 30 जून 2017 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (दो) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) और तद्धीन समय-समय पर यथासंशोधित, बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की पूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई पूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"

2. यह अधिसूचना तारीख 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव